

मध्यप्रदेश शासन  
चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ 2-67/2015/1-55  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 07 जून 2021

आयुक्त,  
चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- शासकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के मासिक स्टायपेंड में वृद्धि।  
संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 2-67/2015/1-55, दिनांक 05.10.2018

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा संदर्भित आदेश क्रमांक एफ 2-67/2015/1-55, भोपाल

दिनांक 05/10/2018 के अनुक्रम में प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में डॉक्टरों के मासिक स्टायपेंड में निम्नानुसार वृद्धि की जाती है:-

क्र.	पदनाम	वर्तमान	स्वीकृत (01/04/2021 से लागू)
1	2	3	4
1	डिप्लोमा/पी.जी. प्रथम वर्ष	55,000	65,000
2	डिप्लोमा/पी.जी. द्वितीय वर्ष	57,000	67,000
3	पी.जी. तृतीय वर्ष	59,000	69,000
4	इंटरन	10,000	12,000
5	सुपर स्पेशलिटी प्रथम वर्ष	59,000	69,000
6	सुपर स्पेशलिटी द्वितीय वर्ष	59,000	69,000
7	सुपर स्पेशलिटी तृतीय वर्ष	59,000	69,000
8	सीनियर रेसीडेंट	65,000	76,000
9	जूनियर रेसीडेंट	45,000	53,000


2/ उपरोक्त स्टायपेंड में प्रतिवर्ष वृद्धि वर्ष के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित रहेगी तथा प्रथम वृद्धि 1 अप्रैल 2022 से लागू किये जाने की भी स्वीकृति दी जाती है।

२

निरन्तर.....

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 127/118/B-6 दिनांक 07/06/2021 द्वारा महालेखाकार, ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम,  
से तथा आदेशानुसार


  
(आर.एस.वर्मा)

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
चिकित्सा शिक्षा विभाग  
भोपाल, दिनांक 07 जून 2021

क्रमांक एफ 2-67/2015/1-55

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र।
  - 2 प्रमुख सचिव, (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र।
  3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र।
  4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल, म.प्र।
  5. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल, म.प्र.।
  6. संबंधित आयुक्त, संभाग.....।
  7. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
  8. संबंधित, अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र।
  - 9 प्राचार्य, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर, म.प्र।
  - 10 प्राचार्य, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर, म.प्र।
  - 11 संचालक, मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर, म.प्र।
  - 12 संचालक, क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान, भोपाल, म.प्र।
  13. अधीक्षक, मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर, म.प्र।
  14. संबंधित, संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय .....म.प्र।
  15. संबंधित, जिला कोषालय अधिकारी.....
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
16. गार्ड फाईल।

  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
चिकित्सा शिक्षा विभाग